<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर</u>

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 03/2020 (राजस्व अपील)
GCMS No. 2020/00008

अनवान

1. श्री नाथू पिता जगजी डांगी, निवासी गरड़ा–जेताणा, तह. सलूम्बर, जिला उदयपुर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सलूम्बर, जिला उदयपुर।

– रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

<u>अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956</u>
<u>अपील विरूद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार झल्लारा, प्र.स. 749/2020 दिनांक 16.06.2020</u>

* <u>निर्णय</u> *

दिनांक– 15-01-2021

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार झल्लारा, जिला उदयपुर निर्णय दिनांक 16.06.2020 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गरड़ा, तहसील सलूम्बर मे आराजी संख्या 2, 3, 6 रकबा 3.02 हेक्टेयर भूमि स्थित है, जिसमे से अपीलान्ट का कब्जा 0.020 हेक्टेयर भूमि पर होना बताया है, जबकि अपीलान्ट का कब्जा केवल 30 x 45 फीट भूमि पर करीब 30 वर्षो से चला आ रहा है। इस भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत ने अपीलान्ट के हक मे जारी किया, जिसके आधार पर अपीलान्ट का जायज कब्जा है एवं अपीलान्ट ने भारी लागत लगाकर उक्त भूमि पर पक्का निर्माण कार्य किया है। अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार झल्लारा द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट मगांकर धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अपीलान्ट को नाजायज कब्जे का नोटिस दिया तथा नोटिस मे तारीख पेशी दिनांक 18.05.2020 लिखी गई तथा कवर पर तारीख फैसल दिनांक 18.05.2020 बता रखी है, किन्तु फैसले पर कोई तारीख नही डाली गई है। उक्त प्रकरण दायर की दिनांक 13.03.2020 की बता रखी है। दिनांक 18.05.2020 को अपीलान्ट ने न्यायालय मे उपस्थित होकर दस्तावेज पेश करने हेतु समय चाहा, किन्तु पत्रावली पर फर्द अहकाम नही लिखा गया तथा दिनांक 29.07.2020 को मौका पर्चा बनाने के लिए पटवारी मौके पर आये तब उन्होने दिनांक 16.06.2020 को निर्णय पारित करना बताया। दिनांक 29.07.2020 को पटवारी हल्का द्वारा बनाये गये मौका पर्चा मे निर्णय की दिनांक 16.06.2020 बतायी गई है। मकान की भूमि पर अपीलान्ट का जायज कब्जा है। कथित भूमि चारागाह होने का कोई ध्[illegible] पंचायत को था और नही अपीलान्ट को था। नायब तहसीलदार द्वारा [illegible] आदेश कान[illegible] विपरीत है। नायब तहसीलदार को मकान जब्ती का कोई अधिकार न[illegible] को मकान हटाने [illegible]प्त अवसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.01.15 13:40:48 IST
Reason: SelfAttested

देना चाहिये था एवं जिला कलक्टर की स्वीकृति प्राप्त करके ही मकान को जब्त सरकार किया जा सकता था। आराजी संख्या 2, 3, 6 रकबा 0.02 हेक्टेयर अपीलान्ट का मकान बना हुआ है एवं उक्त भूमि को चारागाह से आबादी विस्तार हेतु प्रस्ताव जिला कलक्टर उदयपुर को प्रेषित किये गये है तथा भूमि आवंटन होने की स्थिति मे पट्टा स्वतः बहाल हो जायेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.2020 को निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षी को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई एवं प्रकरण मे पृथक से जवाब पेश न कर सीधे बहस हेतु अनुरोध किया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में नायब तहसीलदार झल्लारा द्वारा प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 749/2020 प्राप्त होने पर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्ट अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ करते हुए अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए नायब तहसीलदार झल्लारा द्वारा पारित आदेश को विधि विरूद्ध बताते हुये मौजा गरड़ा, तहसील सलूम्बर मे स्थित आराजी संख्या 2, 3, 6 रकबा 3.02 हेक्टेयर भूमि मे से 30 X 45 फीट भूमि पर अपीलान्ट का पुराना कब्जा होना, ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जाना, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत पत्रावली तैयार न करना, सुनवाई का अवसर न देना, निर्णय पर दिनांक अंकित न होना, कवर पर निर्णय की दिनांक 18.05.2020 अंकित होना एवं पटवारी के मौका पर्चा मे निर्णय की दिंनाक 16.06.2020 अंकित होना, आबादी विस्तार के प्रस्ताव जिला कलक्टर को भेजे जाना आदि अवगत कराते हुये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधि विपरीत बताया। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि उक्त अवधि मे कोरोना संक्रमण को देखते हुये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा एकपक्षीय एवं एडवर्स ऑर्डर न करने हेतु समस्त अधिनस्थ न्यायालयों को दिशा निर्देश जारी कर रखे थे, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्देशो को नजरअंदाज करते हुये विधि विपरीत आदेश पारित किया, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः—

- आर.आर.डी. 2006 पृष्ठ 278
- आर.आर.डी. 2003 पृष्ठ 441
- आर.आर.डी 2002 पृष्ठ 583
- आर.आर.डी 2006—07 पृष्ठ 650

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुये अनुरोध किया कि मौजा गरड़ा, तहसील सलुम्बर की आराजी संख्या 2, 3, 6 रकबा 3.02 हेक्टेयर किस्म चारागाह भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने की शिकायत प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार झल्लारा द्वारा नियमानुसार सुनवाई की जाकर अपीलान्ट को भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.01.15 13:40:48 IST
Reason: SelfAttested

हैं, जो नियमानुसार है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पट्टो पर आराजी संख्या का उल्लेख नहीं हैं। ऐसी स्थिति मे उक्त पट्टो के आधार पर अपीलान्ट का राजकीय भूमि पर स्वामित्व नही माना जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जावें।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उनमे वर्णित तथ्यों आदि का अवलोकन किया एवं उन पर गंभीरता से अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण राजस्व ग्राम गरड़ा, तहसील सलूम्बर मे आराजी संख्या 2, 3, 6 रकबा 3.02 हेक्टेयर भूमि किस्म चारागाह पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने से संबधित है, जिसमे अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार झल्लारा द्वारा अपीलान्ट को मौके से बेदखल करने के आदेश पारित किये है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध सरवर्क पर प्रकरण संख्या 749/2020 दिनांक 13.03.2020 को दर्ज होना एवं दिनांक 18.05.2020 को निर्णित होने का उल्लेख है, किन्तु दिनांक 18.05.2020 की कोई ऑर्डर शीट नही लिखी गई है एवं इससे पूर्व की ऑर्डर शीट मे भी दिंनाक का अभाव है। अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार झल्लारा द्वारा पारित निर्णय मे भी दिनांक का कोई उल्लेख नही किया गया है। इसके अतिरिक्त धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के नोटिस मे भी नोटिस जारी दिनांक 05.05.2020 अंकित है अर्थात् प्रकरण दिनांक 13.03.2020 को दर्ज हो जाने के उपरान्त लगभग दो माह बाद धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है, जो उचित नही है। पटवारी हल्का द्वारा जारी मौका पर्चा रिपोर्ट मे दिनांक 16.06.2020 को निर्णय होना बताया गया है, जबकि पत्रावली के सरवर्क पर निर्णय की दिनांक पृथक अंकित है। इस प्रकार नायब तहसीलदार झल्लारा द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय मे प्रक्रियात्मक त्रुटि होना स्पष्ट परिलक्षित होता है। यह भी स्पष्ट है कि उक्त अवधि मे कोरोना संक्रमण को देखते हुए माननीय राज. उच्च न्यायालय एवं राजस्व मंडल द्वारा एकपक्षीय निर्णय पारित न करने व पक्षकार/उनके अधिवक्ता की अनुपस्थित मे एडवर्स ऑर्डर जारी न करने बाबत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे, किन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित किया है एवं ऐसे निर्णय को अपास्त कर पुनः विधिवत सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित करना हम उचित समझते है।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अतंर्गत धारा 75, भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार झल्लारा द्वारा प्रकरण संख्या 749/2020 मे पारित निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार झल्लारा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि हमारे द्वारा दिये गये उपरोक्त प्रेक्षणों को ध्यान मे रखते हुये प्रकरण नवीन सिरे से दर्ज कर, उभय पक्ष की साक्ष्य सबूत प्राप्त कर, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नवनिर्णय पारित करे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.01.15 13:40:48 IST
Reason: SelfAttested

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर